

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक:- सम्बद्धता/ 1250  
दिनांक:- 23.09.2003

सचिव,  
मेवाड इंस्टी० ऑफ लॉ,  
सैक्टर - 4, सी० वसुन्धरा, गाजियाबाद।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स.1902//जी०एस० दिनांक 23 अगस्त, 2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन मेवाड इंस्टी० ऑफ लॉ, गाजियाबाद को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत एल०एल०बी०(तीन एवं पाँच वर्षीय ) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार एल०एल०बी०(तीन एवं पाँच वर्षीय ) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सत्र दिनांक 01.07.2003 से उपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे, जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भवदीय,

01.3  
कुलसचिव  
एच

- प्रतिलिपि:-
1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूत्रनार्थ।
  2. प्रभारी कमैटी सैल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूत्रनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2260

दिनांक : 19.10.2015

सेवा में,

सचिव,

मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट,

सेक्टर-4सी, वसुन्धरा,

दिल्ली-गाजियाबाद लिंक रोड

गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 20.08.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान का नाम मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के स्थान पर मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संदर्भ में सूच्य है कि पूर्व निर्गत पत्र दिनांक 23.09.2003 में त्रुटिवश संस्थान का नाम मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट के स्थान पर मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ टंकित हो गया था। माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 20.09.2015 के क्रम में मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को संशोधित करते हुए मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट किया जाता है। शेष शर्तें विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/1250 दिनांक 23.09.2003 के अनुसार यथावत रहेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट, सेक्टर-4सी, वसुन्धरा, दिल्ली-गाजियाबाद लिंक रोड, गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव